"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 247] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जून 2014—जयेष्ठ 16, शक 1936

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-10/खाद्य/2004/29-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (अराजपत्रित लिपिकीय) सेवा के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**-(1) ये नियम छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (अराजपत्रित लिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 2014 कहलाएंगे।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाऐं**.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) सेवा के संबंध में **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संचालक/आयुक्त अथवा जिलाधीश ;

   (ख) **"मण्डल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल ;

   (ग) **"समिति"** से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा अनुमोदित चयन समिति ;

   (घ) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगी परीक्षा ;

   (ङ) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन ;

   (च) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

   (छ) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना क्र. एफ.-8-5-पच्चीस/4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग (गैर-क्रीमिलेयर);

   (ज) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

   (झ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;

(ञ) "अनुसूचि जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ट) "चयन समिति" से अभिप्रेत है सीधी भर्ती के लिये शासन द्वारा अनुमोदित समिति;

(ठ) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (अराजपत्रित लिपिकीय) सेवा;

(ड) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों के माध्यम से की जाएगी, अर्थात्:–

(क) प्रतियोगी परीक्षा/चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) अनुसूची–चार के अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल या स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जानें के लिए अपेक्षित, सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति/रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श के पश्चात् सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए, मापदण्ड शासन द्वारा विहित किये जायेंगे, तथापि नियुक्ति प्राधिकारी के लिये आवश्यक होगा कि वह इस प्रयोजन के लिये, तीन सदस्यों की एक चयन समिति गठित करे, जो इन मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**— प्रतियोगी परीक्षा में पात्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—

(एक) **आयु**— (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को, अभ्यर्थी ने अनुसूची—तीन के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हों तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर—क्रीमिलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं अथवा रह चुके हैं नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना

कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा:

परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा:

परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के द्वारा कम से कम 6 (छः) माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु

अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो.–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(4) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में, उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 (अड़तीस) वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (घ) के उप–खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे। किसी अन्य मामले में, ये सीमायें शिथिल नहीं की जायेंगी।

(2) विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) अभ्यर्थी जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विधवा/तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी। किन्तु उपरोक्त उल्लेखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत भी शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिये अधिकतम आयु, किसी भी दशा में 45 (पैंतालीस) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) शैक्षणिक अर्हतायें— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिये, जैसा कि अनुसूची–तीन में यथादर्शित है।

(तीन) शुल्क— (क) अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ख) चिकित्सा शुल्क— ऐसे अभ्यर्थी, जो चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किये गये हों, को स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को, शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**— (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे चयन के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जैसी कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो, से मुक्त घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में, अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जाँच, जैसी की आवश्यक समझी जाये, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले को न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से अवधारित न कर दिया जाये।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.–** (1) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के पश्चात्, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी जाती है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. **प्रतियोगी परीक्षा/चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.–** (1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती:–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें तीन सदस्य सम्मिलित होंगे।

(दो) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी शासन के परामर्श से, समय–समय पर अवधारित करे।

(तीन) परीक्षा, शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जायेगी।

(2) चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती:–

(एक) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन ऐसे अन्तरालों पर किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये।

(दो) अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

(तीन) चयन समिति, समुचित समय अन्तरालों पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित की जायेगी।

(3) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमिलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, उप–नियम (3) के अनुसार यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमिलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30% पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण, समस्तर एवं प्रभागवार होगा।

(7) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमिलेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमिलेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये, शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पदों को आरक्षित रखे जायेंगे।

12. **चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.–** (1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि चयन समिति अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमिलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता के मानकों को बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तैयार करेगी तथा उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(3) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु समिति द्वारा प्रत्येक प्रवर्ग के लिये एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्ग के लिये एक प्रतीक्षा सूंची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची के जारी किये जाने की तारीख से डेढ़ वर्ष होगी।

स्पष्टीकरण– प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों के 25% आँकलन के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, पाइंट (अंक) को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, उप–नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को अग्रेषित करेगा।

(5) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(7) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, के वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने या त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम, नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

(8) यदि प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

(9) नियुक्ति प्राधिकारी, शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, शासन को विधिमान्य कारण दर्शाते हुए, अधिकतम 6 माह की कालावधि के लिए चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।

(10) चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि होने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वाभाविक वृद्धि होना माना जायेगा।

(11) उप-नियम (8) एवं (9) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी, जब तक कि शासन ने वृद्धि हेतु विधिमान्य कारण दर्शाते हुए कोई सिफारिश न की हो।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु चयन करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लेखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप-नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।

(3) पदोन्नति में आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार एवं मॉडल रोस्टर के अनुसार दिया जायेगा।

(4) रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप-नियम (3) में उल्लेखित प्रावधानों तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन कर लिया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.**– (1) उप-नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट है अथवा शासन द्वारा

उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया (कार्यभार ग्रहण किया) हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने (कार्यभार ग्रहण करने) की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में, जहाँ पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर की जानी हो अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहाँ सभी वर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पदों तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में, जहाँ पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो, वहां विचारण का क्षेत्र कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शासकीय सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचारण के क्षेत्र में कुल रिक्त पदों की संख्या के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लेखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण के क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश, पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.**– (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 13 एवं 14 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची, प्रति वर्ष पुनर्विलोकित एवं पुनरीक्षित की जायेगी।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, यह प्रस्तावित किया जाये कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाना है, तो समिति, यथास्थिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के लिंये अपने कारणों को अभिलिखित करेगी।

16. **चयन सूची.**– (1) नियुक्ति प्राधिकारी, शासन से प्राप्त हुए दस्तावेजों के साथ–साथ चयन समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा, यदि उन्हें यह प्रतीत होता है कि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है, तो वह सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, शासन को अपनी राय, यदि कोई हो, के साथ सूचित करेगा, किन्तु वे उस पर एक बार विचार करते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे आवश्यक उपांतरणों (परिवर्तनों) सहित, यदि कोई हो, जो उसे न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त प्रतीत हो, सूची को अनुमोदित करेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई चयन सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लेखित पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में यथा उल्लेखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची सामान्यतया इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.–** (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में, उस क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व चयन समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

18. **परिवीक्षा.–** (1) सेवा में सीधे या पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 (दो) वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो परीवीक्षा की कालावधि में अधिकतम 1 (एक) वर्ष तक की कालावधि के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वृद्धि की जा सकेगी।

(3) परीवीक्षा की कालावधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौरान या परीवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशिष्ट

अभ्यर्थी अधिकारी बनने के योग्य नहीं है, तो ऐसे परीवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

19. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**– (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

अनुसूची—एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर (सहायक)	1	तृतीय श्रेणी (तकनीकी)	9300—34800	4300
2.	अधीक्षक	3	तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)	9300—34800	4300
3.	शीघ्रलेखक ग्रेड—दो	1	—तदैव—	9300—34800	4300
4.	शीघ्रलेखक ग्रेड—तीन	1	—तदैव—	5200—20200	2800
5.	सहायक ग्रेड—एक	4	—तदैव—	5200—20200	2800
6.	लेखापाल	1	—तदैव—	5200—20200	2400
7.	सहायक ग्रेड—दो	4	—तदैव—	5200—20200	2400
8.	स्टेनो टायपिस्ट	1	—तदैव—	5200—20200	1900
9.	सहायक ग्रेड—तीन	9	—तदैव—	5200—20200	1900
10.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	1	—तदैव—	5200—20200	2400
11.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (संविदा)	1	—तदैव—	—	—
12.	वाहन चालक (संविदा)	1	तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय)	—	—
13.	वाहन चालक (कलेक्टर दर)	2	—तदैव—	—	—

टीप: जिला कार्यालय के लिपिकीय (तृतीय श्रेणी) एवं (चतुर्थ श्रेणी) पदों के लिये नियुक्ति प्राधिकारी संबंधित जिला कार्यालय का कलेक्टर होगा।

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स.क्र.	सेवा/पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियाँ
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	सेवा में कर्मचारी की पदोन्नति द्वारा (नियम 6(1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों से अस्थायी स्थानांतरण द्वारा (नियम 6 (1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर (सहायक)	1	100%	–	–	
2.	अधीक्षक	3	–	100%	–	
3.	शीघ्रलेखक ग्रेड–दो	1	–	100%	–	
4.	शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	1	100%	–	–	
5.	सहायक ग्रेड–एक	4		100% पदोन्नति द्वारा	–	
6.	लेखापाल	1	–	100%	–	
7.	सहायक ग्रेड–दो	4	–	100%	–	
8.	स्टेनो टायपिस्ट	1	100%	–	–	
9.	सहायक ग्रेड–तीन	9	75%	25% उन विभागीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये, जो हायर सेकेण्डरी परीक्षा एवं 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों		
10.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	1	100%	–	–	
11.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (संविदा)	1	100%	–	–	
12.	वाहन चालक (संविदा)	1	100%	–	–	
13.	वाहन चालक (कलेक्टर दर)	2	100%	–	–	

अनुसूची–तीन

(नियम 8 देखिये)

स. क्र.	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर (सहायक)	21	30	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) प्रतिष्ठित संस्थान में 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव।	
2.	शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	18	30	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/ शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद् से:– (क) **शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिये**– हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (ख) **शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिये**– अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (ग) **द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिये**– ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट अंग्रेजी तथा हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
3.	स्टेनो टायपिस्ट	18	30	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	

4.	सहायक ग्रेड–तीन	18	30	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, तथा (3) हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
5.	डाटा एंट्री ऑपरेटर	18	30	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
6.	डाटा एंट्री ऑपरेटर (संविदा)	18	30	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
7.	वाहन चालक	18	30	अपेक्षित किये गये अनुसार– 8 वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण एवं हल्के वाहन चालन का लायसेंसधारी।	

टीपः– छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा समय–समय पर **शासन के** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची–चार

(नियम 13 देखिये)

पदोन्नति का तरीका

स. क्र.	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पद जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु सेवा की अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सहायक ग्रेड–एक	अधीक्षक	5 वर्ष	1.संयुक्त संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग –अध्यक्ष 2. उप संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग –सदस्य 3. खाद्य नियंत्रक, (संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) –सदस्य
2.	शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	शीघ्रलेखक ग्रेड–दो	5 वर्ष	–तदैव–
3.	लेखापाल/ सहायक ग्रेड–दो	सहायक ग्रेड–एक	5 वर्ष	–तदैव–
4.	सहायक ग्रेड–तीन	सहायक ग्रेड–दो/ लेखापाल	5 वर्ष	–तदैव–
5.	चतुर्थ श्रेणी, जो हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण हो	सहायक ग्रेड–तीन	5 वर्ष की नियमित सेवा	–तदैव–

टीपः 1. शासकीय लेखा परीक्षा अर्हता प्राप्त,सहायक ग्रेड–तीन की पदोन्नति लेखापाल के पद पर की जायेगी।

2. जिला कार्यालय के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण गें लिपिकीय (तृतीय श्रेणी) एवं (चतुर्थ श्रेणी) के पदों पर अभ्यर्थियों की पदोन्नति के प्रयोजन के लिये सक्षम प्राधिकारी, संबंधित जिले का कलेक्टर होगा।

रायपुर, दिनांक 6 जून 2014

क्रमांक एफ 1-10/खाद्य/2004/29-1/646. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06 जून, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 6th June 2014

`NOTIFICATION

No. F.1-10/Food/2004/29-1. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitition of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the Chhattisgarh Food, Civil Supplies and Consumer Protection (Non-Gazetted Clerical) Services, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement.** - (1) Theses rules may be called the Chhattisgarh Food, Civil Supplies and Consumer Protection (Non-Gazetted Clerical) Services Recruitment Rules, 2013.

   (2) These rules shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – In these rules, unless the context otherwise requires, -

   (a) "**Appointing Authority**" in respect of the service means the District Collector or the Director/Commissioner of Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department;

   (b) "**Board**" means the Chhattisgarh Professional Examination Board;

   (c) "**Committee**" means Selection Committee approved by the State Government;

   (d) "**Examination**" means the competitive examination conducted for recruitment to the service under Rule 11 of these rules;

   (e) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;

   (f) "**Governor**" means the Governor of Chhattisgarh;

(g) **"Other Backward Classes"** means the Other Backward Classes (non-creamy layer) of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-25/4-84 dated 26.12.1984, as amended from time to time;

(h) **"Schedule"** means the Schedule appended to these rules;

(i) **"Scheduled Castes"** means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(j) **"Scheduled Tribes"** means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under article 342 of the Constitution of India;

(k) **"Selection Committee"** means the Committee approved by the Government for direct recruitment;

(l) **"Service"** means the Chhattisgarh Food, Civil Supplies and Consumer Protection (Non-Gazetted Clerical) Services;

(m) **"State"** means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application.** – Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service.** - The Service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay etc.** - The classification of the Service, the number of posts included in the Service and scale of pay attached thereto, shall be in accordance with Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of posts and pay scale included in the Service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.** - (1) After the commencement of these rules, recruitment to the Service shall be made through the following methods, namely:–

(a) By direct recruitment through competitive examination/selection;

(b) By promotion of members of the Service according to Schedule-IV;

(c) By transfer/deputation of the persons, who hold in a substantive or officiating capacity such posts in such service, as may be specified in this behalf.

(2) The number of the persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall, at any given time, not exceed the percentage shown in Schedule- II of the number of posts specified in Schedule- I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy/ vacancies in the Service and the number of persons to be recruited by each method, as may be required to be filled during any particular period of recruitment, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, the Appointing Authority shall, after consultation with the General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, by order issued in this behalf prescribe.

(5) The criteria (norms) shall be prescribed by the Government for the post to be filled by direct recruitment on the basis of merit. However it shall be mandatory for Appointing Authority to constitute a Selection Committee, consisting of three members, for this purpose, which shall adopt any other appropriate norms other than these norms with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment to the service, the provisions of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes Reservation) Act 1994, (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time under this Act by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. **Appointment to the Service.** - All appointments to the Service after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.** - In order to be eligible for competitive examinations, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(I) **Age-** (a) the candidate must have attained the age as specified in column (4) of Schedule- III and not attained the age as specified in column (5), of the said Schedule, on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published;

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 (five) years in case a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other backward classes (non-creamy-layer);

(c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 (Ten) years for a women candidate in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the condition specified below, namely:-

(i) A candidate who is a permanent or temporary Government servant shall not be more than 38 (thirty eight) years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for another post shall not be more than 38 (thirty eight) years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the project implementation committee;

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary services previously rendered by him up to a maximum limit of 7 (seven) years even if it represents more than one spell:

Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years.

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 (three) years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service;

(e) A candidate who is an Ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him:

Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years.

Explanation – The term" Ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed by the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 (three years) before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service:-

(1) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on –

(a) Completion of short term engagement;

(b) Fulfilling the conditions of enrolment;

(3) Ex-personal of Madras Civil Unit;

(4) Ex-servicemen (Military and Civil) who are discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(6) Ex-servicemen invalidated out of service;

(7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 2 (two) years in respect of green card holder candidates under the Family Welfare Programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 (five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste Marriage Promotional Scheme under Untouchability Eradication Rules, 1984;

(h) The upper age limit shall be relaxable upto 5 (five) years in respect of the Shahid Rajeev Pandey Award, Gundahadur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdev Award holder and National Young Award holder candidiates;

(i) The upper age limit shall be relaxable upto 38 (thirty eight) years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporation/Boards;

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards for the period of service rendered so by them, subject to a limit of 8 (eight) years, but in no case their age should exceed 38 (thirty eight) years.

Note :- (1) Candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of Clause (d) of Rule 8, shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications. In any other case, these limits shall not be relaxed.

(2) The Departmental candidates must obtain the previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination.

(k) Candidates obtaining the benefit of relaxation in maximum age limit on the basis of their category (Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Women/ Widow/ Divorcee etc.) shall be given additional relaxation available in maximum age limit as usual. But in any case, the maximum age to get eligible for Government job shall not exceed 45 (Forty-five) years, irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

(l) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.

(II) Educational Qualification. – The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule- III.

(III) Fees. - (A) - The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

(B) Medical fees. - The candidate who has been required to appear before Medical Board must pay the fees, as prescribed by the Government, to the Chairman of the Medical Board before medical test.

9. **Disqualification.** - (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, directly or indirectly, shall be held by Appointing Authority to be disqualification from selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule in such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to the Service or post until he/she is declared mentally and physically fit and free from any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under the condition that if he is found medically unfit then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any Service or post, if the Appointing Authority satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(7) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th day of January, 2001:

Provided that no candidate shall be ineligible for appointment to a service or post, who has already one living children and next delivery is on 26th January, 2001 or thereafter, in which two or more children are born.

10. **Appointing authority decision about the eligibility of candidates shall be final. -** (1) The decision of the Appointing Authority as to the eligibility of a candidate for selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination/interview.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Appointing Authority that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Appointing Authority.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination/ Selection /Interview.–** (1) Direct Recruitment by Competitive Examination:-

(i) Appointing authority will constitute a Selection Committee comprising of three members;

(ii) The Competitive examination for recruitment to the Service shall be held at such interval as the Appointing Authority may, in consultation with the Government, from time to time, determine;

(iii) The examination shall be conducted by the Appointing Authority in accordance with such orders issued by the Government from time to time.

(2) Direct Recruitment by Selection/ Interview:-

(i) The selection of the candidates to the service shall be held at such intervals as determined by Appointing Authority;

(ii)The Selection of candidates will be done by the selection committee based on interview.

(iii) Selection committee will be constituted by the Appointing Authority at appropriate time intervals.

(3) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall be applicable.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Appointing Authority keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (non-creamy-layer) as per sub-rule (3) as the case may be.

(6) 30% posts shall be reserved for women candidates, in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.

(7) In such cases, where certain experience period has been prescribed as an essential condition for the post to filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Government that there is a possibility of candidates belonging to the Scheduled castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Competent Authority may relax the condition of experience in respect of the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (non-creamy-layer).

(8) In addition to the above, posts for persons with disability and ex-servicemen shall be reserved in accordance with the directions issued by the Government, from time to time.

12. **List of Candidates recommended by the Selection Committee.** – (1) The Selection Committee shall prepare and forward a list of candidates to the Appointing Authority, arranged in order of merit, who have qualified by such standards, as may be determined by the Selection Committee, and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (non-creamy-layer), who did not qualify such standards but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment in the Services with due regards to the maintenance of standards of efficiency in the administration. The list so prepared under sub-rule (1) shall also be published in the Official Gazette for information of general public.

(2) The list so prepared under sub-rule (1) shall also be published for general information.

(3) A select list for each category shall be prepared by the Committee for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be one and half year from the date of issue of such select list.

Explanation- While calculating 25% vacant posts in each category, to make it an integer; point shall be extended to the next integral number.

(4) Appointing Authority shall forward the selection list prepared under sub-rule (1) to the Government for further action regarding appointment.

(5) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(6) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidates is suitable in all respects for appointment to the Service.

(7) Any candidate, whose name is included in the selection list, do not join the duty within the valid period, or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the name of candidate from the waiting list can be recommended by the Appointing Authority for appointment.

(8) If a request is being received from the Government asking to send names of the candidates from waiting list, then the Appointing Authority, as per the above provisions, will recommend the names from the waiting list and send it to the Government.

(9) Appointing Authority, after receiving the proposal from the Government, can extend the validity period of selection list for a maximum period of 6 months by stating valid reason to the Government.

(10) On extending the validity period of select list for 6 months, the validity period of waiting list will automatically deem to be extended for 6 months.

(11) The validity period of selection list, prepared under sub-rule (8) and (9), shall not be extended by the Appointing Authority unless the Government makes any recommendation stating valid reason for extension.

13. **Appointment by promotion.** – (1) Appointing Authority shall form a Selection Committee consisting of the members mentioned in Schedule- IV, for making a selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub- rule, for constitution of the committee, the provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Reservation in promotion shall be made in accordance with the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roster.

(4) The procedure for making promotion in the vacancies shall be made in accordance with the provision mentioned in sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

14. Conditions of eligibility for promotion.– (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made as specified in column (3) of Schedule-IV or on any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation. – The method of computation for eligibility for promotion– The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/promotion during 1 year.

(ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the total vacant posts. If the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Government Servants are

not available for promotion then the area of consideration may extend upto 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category above mentioned area of consideration. Committee shall consider to fill the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion the course of 1 year.

(3) The name of public servant in requisite number for each cadre shall be considered for the purpose of inclusion of his name upto 25 percent of number of public servant included in the selection list or to that of two public servant, whichever is more to fill the unexpected vacancies during above said duration apart from expected vacancies under sub-rule (2).

(4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(5) Other provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable for promotion.

15. **Preparation of list of suitable candidate.** – (1) The committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the condition prescribed in rule 13 and 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of period of one year from the date of preparation of the list. In addition to this a reserve list, which shall consist one and minimum upto 25% in each category, shall be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.

(2) The list of suitable officers shall be prepared according to the provision of Chhattisgarh Public service (Promotion) Rules, 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, as the case may be, then the committee shall record its reason for the proposed supersession.

16. **Select list.** - (1) Appointing Authority shall consider the list along with the documents received from the Government, prepared by the Selection Committee, if it feel that there is no need of making any changes then it shall approve the list.

(2) If the Appointing Authority feels that there is need of some changes in the list, then Appointing Authority shall inform the Government with its opinion if any, but once it is considered, the Appointing Authority shall approve the list with necessary changes, if any, which it thinks justified and reasonable.

(3) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be Select List for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of schedule-IV to the posts as mentioned in column (3) of the said schedule.

(4) The select list shall ordinarily be valid upto 31st December of the calendar year from the date of its preparation.

17. **Appointment to Service from selection list.** – (1) Appointment of the officers included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such officer appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Selection Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work, which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. **Probation.** - (1) Every person recruited by direct recruitment or by promotion to the Service shall be appointed on probation for a period of 2 (two) years.

(2) If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period upto a maximum of 1 (one) year.

(3) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an officer, then the services of such probationer can be terminated.

19. **Interpretation.** - If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.** - Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

21. **Repeal and saving.** - (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Schedule Caste, Schedule Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary

SCHEDULE- I

(See Rule 5)

S. No.	Name of posts included in the Service	No. of posts	Classification	Pay Scale	Grade pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Computer Programmer (Assistant)	1	Class Three (Technical)	9300-34800	4300
2.	Superintendent	3	Class Three (Clerical)	9300-34800	4300
3.	Stenographer Grade- II	1	-do-	9300-34800	4300
4.	Stenographer Grade- III	1	-do-	5200-20200	2800
5.	Assistant Grade- I	4	-do-	5200-20200	2800
6.	Accountant	1	-do-	5200-20200	2400
7.	Assistant Grade- II	4	-do-	5200-20200	2400
8.	Steno Typist	1	-do-	5200-20200	1900
9.	Assistant Grade- III	9	-do-	5200-20200	1900
10.	Data Entry Operator	1	-do-	5200-20200	2400
11.	Data Entry Operator (Contract)	1	-do-	-	-
12.	Driver (Contract)	1	Class- III (Non-clerical)	-	-
13.	Driver (Collector rate)	2	-do-	-	-

Note: District Collector of the concerned district office shall be appointing authority for Clerical (Class-III) and (Class-IV) posts. in district office

SCHEDULE-II
(See Rule 6)

S. No.	Name of service	Total no. of posts	Percentage of no. of posts to be filled			Remarks
			By direct recruitment (see rule 6(1) (a))	By promotion of staff in service (see rule 6 (1) (b))	By temporary transfer from other services (see rule 6 (1) (c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Computer Programmer (Assistant)	1	100%	-	-	
2	Superintendent	3	-	100%	-	
3	Stenographer Grade-II	1	-	100%	-	
4	Stenographer Grade-III	1	100%	-	-	
5	Assistant Grade- I	4		100 % by promotion	-	
6	Accountant	1	-	100%	-	
7	Assistant Grade- II	4	-	100%	-	
8	Steno-Typist	1	100%	-	-	
9	Assistant Grade- III	9	75%	25 %For those Class- IV departmental employees, who passed Higher Secondary Exam and completed 5 years regular service		
10	Data Entry Operator	1	100%	-	-	
11	Data Entry Operator (Contract)	1	100%	-	-	
12	Driver (Contract)	1	100%	-	-	
13	Driver (Collector rate)	2	100%	-	-	

Schedule- III
(See Rule 8)

S. No.	Name of service	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualification	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Computer Programmer (Assistant)	21	30	(1) Post graduate in computer from any recognized university (2) 3 years experience in prominent organization	
2	Stenographer Grade- III	18	30	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) From any recognized Board/Institute/Stenography (Shorthand) Typing Council :- (a) **For Stenographer (Hindi)-** Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (b) **For Stenographer (English)-** Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (c) **For Bilingual Stenographer-** Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).	

				(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
3	Steno Typist	18	30	"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) 60 words per minute Speed in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
4	Assistant Grade-III	18	30	(1) Passed (10+2) examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with first year examination of graduation course from any recognised University. (2) Onc year Diploma/Certificate in Data Entry Operator / Programming from any recognized institute, and (3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
5	Data Entry Operator	18	30	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized	

				University, OR Passed 10th Examination and three year diploma in any subject from any recognized institute. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken).	
6	Data Entry Operator (Contract)	18	30	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University, OR Passed 10th Examination and three year diploma in any subject from any recognized institute. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken)."	
7	Driver	18	30	As per requirement– Light vehicle driving license and 8th class exam passed.	

Note: - The upper Age limit shall be relaxable, for candidates domicile in the State of Chhattisgarh, as notified by the General Administration Department of the Government of Chhattisgarh from time to time.

Schedule- IV
(See Rule 13)
Method of Promotion

S. No.	Post from which promotion is to be made	Post to which promotion is to be made	Period of Service for promotion	Members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Assistant Grade- I	Superintendent	5 years	1. Joint Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department- **Chairman** 2. Deputy Director, Chhattisgarh Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department – **Member** 2. Food Controller (As nominated by Director Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department) – **Member**
2	Stenographer Grade- III	Stenographer Grade- II	5 years	-do-
3	Accountant/ Assistant Grade- II	Assistant Grade- I	5 years	-do-
4	Assistant Grade- III	Assistant Grade- II/Accountant	5 years	-do-
5	Class-IV, who passed Higher Secondary Exam	Assistant Grade- III	5 years regular service	-do-

Note: 1. Government Audit Examination qualified Assistant Grade- III may be promoted to Accountant.

2. Collector of the District shall be the Promote Authority for the purpose of Promotion the candidates to clerical (Class- III) and (Class- IV) posts in the concerned district office of Food, Civil Supplies and Consumer Protection.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.